कौशल विकास संचालनालय
मध्यप्रदेश

-: आदेश :-

/जबलपुर, दिनांक 1/11/12

क्रमांक संप्र/स्थाप–प्र/सामा–216/2012/ 5412 /मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 9300–34800 + रू0 3200/– ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

1 परीवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को डीजीईटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई/सीटीआई) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उनकी सेवायें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रूकी हुई सभी वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी ।

2 शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर कोई उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापिस होता है तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा ।

3 परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाऐं कभी भी बिना कारण बताऐं एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती है।

4 कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवाऐं छोड़ना चाहते है तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवाऐं समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवाऐं समाप्त कर सकेगा।

5. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा ।

7 उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 12 (1)(क) के अनुसार व्यापम से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी ।

8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.05 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे ।

9. यह नियुक्ति आदेश माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष लंबित याचिका क्रमांक 6266, 6267, 6268 एवं 6270/2012 के अंतिम निर्णय के अध्ययाधीन होगी ।

स. क्र.	उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	आरक्षित/अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार गर्ग,आत्मज श्री अवधेश कुमार गर्ग, कल्याणपुर पोस्ट मैहर,जिला–सतना म.प्र. पिन – 485771	अनारक्षित	विद्युतकार	बहोरीबंद (जिला –कटनी)

स. क्रं	उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	आरक्षित/ अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	आवंटित प्र. संस्था का नाम पदस्थापना की गई
2	शैलेन्द्र कुमार पिप्पल आत्मज श्री विशम्भर दयाल पिप्पल, 68 पंचशील नगर मेले के पीछे ग्वालियर म.प्र. पिन– 474011	एस.सी (अनारक्षित के विरूद्ध)	गणित ड्राइंग	शिवपुरी
3	अनिल कुमार कौशल,आत्मज श्री प्रीतम लाल कौशल,शंतीनगर कॉलोनी पुराना बिजावर नाका के आगे गली नं.03 के पास,सागर रोड,छतरपुर म.प्र.पिन– 471001	ओ.बी.सी.	ड्राफ्समैन सिविल	पन्ना
4	गोकुल निरापुरे,आत्मज श्री अमृतलाल निरापुरे,शिवमंदिर के पास हमलापुर बैतूल म.प्र. पिन – 460001	एस.सी.	मोटर मैकेनिक	सिवनी
5	आमोश कुमार अहिरवार,आत्मज श्री कुटटूलाल अहिरवार,वार्ड–5 ग्राम पोस्ट जतारा जिला– टीकमगढ म.प्र. पिन – 472118	एस.सी	विद्युतकार	देवरी (सागर)
6	नीरज बडा, आत्मज श्री कमिल बडा, 3223/1 बी मामा किराना स्टोर्स के पास तुलसीनगर रॉझी जबलपुर म.प्र पिन – 482005	एस.टी.	रिपेयरिंग एण्ड मेन्टेनेंस ऑफ हार्वेस्टिंग मशीन	राघोगढ (जिला–गुना)
7	इमेनवल जैफिन,स्व.श्री फिलिप जैफिन,वार्ड–12 शिवमंदिर के पास बूढी, बालाघाट म.प्र. पिन– 481001	एस टी	डीजल मैकेनिक	विजयराघवगढ (जिला –कटनी)
8	राखी मर्सकोले,आत्मजा श्री सालिकराम मर्सकोले, शंकर कॉलोनी वार्ड–20 कुसमेली छिन्दवाडा म.प्र. पिन– 480002	एस.टी	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	बरघाट (जिला–सिवनी)
9	संजय कुमार भालेकर,आत्मज श्री शंकर लाल भालेकर, बरघाट नाका टैगोर वार्ड पानी की टंकी के पास सिवनी म.प्र पिन– 480661	एस.सी	ड्राफ्समैन सिविल	बालाघाट
10	किस्मत सिंह कंगाले, आत्मज श्री रैपाल सिंह कंगाले,एच.आई.जी.–बी./8 पंडित दीनदयालपुरम कॉलोनी सिविल लाईन बालाघाट म.प्र. पिन– 481001	एस.टी	विद्युतकार	कुरई (जिला–सिवनी)

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

क्रमाक सप्र/स्थाप–प्र/सामा–203(2)/2012/ 5413 /जबलपुर. दिनाक 1/11/12

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र ग्वालियर ।
   तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल ।
4. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं, मध्यप्रदेश ।

...धित प्राचार्य / संस्था प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मध्यप्रदेश । चयनित उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करें । संबंधित उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन,व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेजें ।

6 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

7 संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति एव सत्यापित छाया प्रति सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के 20 दिन के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

8 स्टेनो संचालक / अतिरिक्त संचालक एवं सयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश जबलपुर।

9 अधीक्षक / स्थापना / गोपनीय / बजट / पदक्रम सूची अनुभाग प्रभारी, कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश जबलपुर ।

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश